Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, SAHARSA.

BCCA Appeal Case No.- 16 /2025

Santosh Kumar Singh ....Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Ors. ....Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	28.5.2025	**आदेश** यह बी0सी0सी0ए0 अपील वाद संख्या 16/2025 श्री संतोष कुमार सिंह, पिता-गंगा प्रसाद सिंह, सा0-हेमपुर, वार्ड नं0-16, थाना-नवहट्टा, जिला-सहरसा द्वारा न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, सहरसा द्वारा बी0सी0सी0ए0 वाद संख्या 158/2024 में पारित आदेश (ज्ञापांक-120/न्याया0 दिनांक-28.1.2025) के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। LCR प्राप्त है। दिनांक-17.05.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। अपीलार्थी की ओर से Written Argument दाखिल है। जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक-27.1.2025 (ज्ञापांक-120/ न्याया0 दिनांक-28.1.2025) में बिहार अपराध नियत्रंण अधिनियम, 2024 की धारा 2(बी) के तहत श्री संतोष कुमार सिंह, पिता-गंगा प्रसाद सिंह, सा0-हेमपुर, वार्ड नं0-16 थाना-नवहट्टा, जिला-सहरसा को असामाजिक तत्व Declare करते हुए उनको आदेश निर्गत की तिथि से दो माह के लिए सहरसा जिला के नवहट्टा थाना, सहरसा से मधेपुरा जिला के मधेपुरा सदर थाना के लिए जिला बदर किया गया। इस अपील वाद का Issue in question यह है कि पुलिस द्वारा लाये गये प्रस्ताव एवं साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी श्री संतोष कुमार सिंह, पिता-गंगा प्रसाद सिंह, सा0-हेमपुर, वार्ड नं0-16 थाना-नवहट्टा, जिला-सहरसा कानून में परिभाषित Anti Social Element में आते है अथवा नहीं। Bihar Control of Crimes Act, 2024 के धारा 2(बी) में असामाजिक तत्व (Anti Social Element) का परिभाषा अंकित है:- असामाजिक तत्त्व से अभिप्रेत है, जो व्यक्ति (i) भारतीय दंड संहिता के अध्याय XVI या अध्याय XVII के तहत कोई दंडनीय अपराध करता है, या करने का प्रयास करता है या करने के लिए दुष्प्रेरण करता है; या (ii) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के अधीन महिलाओं और बच्चों की व्यापार से जुड़ा कोई भी अपराध करता है या करने में दुष्प्रेरण करता है; या (iii) यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत कोई अपराध करता है या करने के लिए दुष्प्रेरण करता है; या (iv) धर्म, मूलवंश, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर या अन्य किसी भी आधार पर विभिन्न धर्मो, मूलवंशीय या भाषाई दलों या जातियों या समुदायों के बीच शब्दों द्वारा या अन्यथा शत्रुता या घृणा की भावना प्रोत्साहित या प्रोत्साहित करने का प्रयत्न करता हो; या (v) जो स्त्रियों और लड़कियों पर आदतन अश्लील फब्तियाँ करता हुआ या उन्हें छेड़ता हुआ पाया गया हो; या (vi) बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के प्रावधानों के अधीन "गुण्डा" घोषित किया गया हो; या (vii) आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए किसी अग्नायुध या गोला-बारूद के निर्माण या विक्रय या परिवहन या संचरण या अवैध व्यापार या सम्परिवर्तन या मरम्मत या परीक्षण या परिशुद्धि करता है या करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है या किसी संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या इसके किसी व्यक्ति की ओर से अग्नायुध या गोला-बारूद का संधारण या वहन करता है।	

Scanned with OKEN Scanner

28.5.2025	(viii) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का केन्द्रीय अधिनियम की धारा-67) या बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन और भंडारण का निवारण अधिनियम, 2019) और समय-समय पर यथासंशोधित अथवा तथा उस समय प्रभावी अन्य कोई नियम के अन्तर्गत बालू से संबंधित अपराध करता है या किसी प्रकार का अपराध करने का प्रयास करता है या इसके लिए दुष्प्रेरण करता है; या (ix) समय-समय पर संशोधित बिहार उत्पाद एवं निषेध अधिनियम, 2016 या स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि एवं इसके अधीन बनाए गए नियम, अधिसूचना तथा आदेश के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन करके किसी शराब या मादक या हानिकारक मादक द्रव्य या अन्य मादकों या स्वापकों का आसवन, निर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय, वितरण करता है, अथवा जो किसी भी व्यक्ति द्वारा या उसके माध्यम से उपरोक्त उल्लिखित चीजों में से किसी को आगे बढ़ाने या समर्थन करने के लिए जानबूझ कर कोई धन खर्च या लागू करता है या किसी जानवर, वाहन, जहाज, या अन्य वाहन या किसी भी पात्र या किसी अन्य सामग्री की आपूर्ति करता है या जो किसी अन्य तरीके से ऐसे किसी कार्य को करने के लिए दुष्प्रेरण करता है; या (x) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (केन्द्रीय अधिनियम, 2000 का 21) के अध्याय-xi के अधीन कोई दंडनीय अपराध करता है या करने का प्रयास करता है या उसे करने के लिए दुष्प्रेरण करता है; या (xi) या तो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या नेतृत्वकर्त्ता के रूप में अवैध और अनाधिकृत रूप से, बल या धमकी का उपयोग करके या किसी अन्य गैरकानूनी तरीके से, किसी भी भूमि या भवन या किसी अन्य संपत्ति पर कब्जा कर लेता है या कब्जा करने का प्रयास करता है, चाहे वह संपत्ति सरकार, स्थानीय प्राधिकार या किसी अन्य व्यक्ति की हो। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने, अभिलेख में रक्षित कागजातों तथा LCR के अवलोकनोपरांत यह स्थिति दृष्टिगत है कि जिला दण्डाधिकारी, सहरसा का प्रासंगिक आदेश पुलिस अधीक्षक, सहरसा के ज्ञापांक-676/डी0सी0बी0 दिनांक-20.11.2024 के आधार पर पारित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के अपीलाधीन आदेश (अथवा पुलिस अधीक्षक, सहरसा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव) में अपीलार्थी श्री संतोष कुमार सिंह को Anti Social Element पाये जाने के विषय में संगत वैधानिक प्रावधान (BCCA, 2024 का धारा 2(बी)) के लागू होने के संदर्भ में साक्ष्य की विवेचना/Findings Record किये बिना ही आदेश पारित किया गया है। जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के अपीलाधीन आदेश में Petitoner द्वारा उनके न्यायालय में दाखिल जवाब के Para-6 के संदर्भ कोई Finding अंकित नहीं किया गया है। Petitioner निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य हैं। उपस्थापित साक्ष्यों के आधार पर Petitioner के मामले में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2024 के धारा 2(बी) का Legal ingredient प्रमाणित नहीं होता है। अतः उपरोक्त के अलोक में यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के स्तर से अपीलार्थी श्री संतोष कुमार सिंह को Anti Social Element पाये जाने के विषय में संगत वैधानिक प्रावधान (BCCA, 2024 का धारा 2(बी)) के लागू होने के संदर्भ में साक्ष्य की विवेचना/Findings Record किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधिमान्य नहीं है। अतः इस अपीलाधीन आदेश को खारिज किया जाता है। इस आदेश की प्रति के साथ LCR जिला दण्डाधिकारी, सहरसा को वापस भेजें। Raje K. 28/5/2025. आयुक्त कोशी प्रमंडल सहरसा। लेखापित एवं शुद्धित Raje K. 28/5/2025. आयुक्त कोशी प्रमंडल सहरसा।

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक -3274/विधि | सहरसा, दिनांक-29.05.2025

प्रतिलिपि :- समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, सहरसा को आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा बी०सी०सी०ए० अपील वाद सं0-16/2025 में दिनांक-28.05.2025 को पारित आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित किया जाता है। साथ ही प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, सहरसा के पत्रांक 313/न्या0 दिनांक 09.04.2025 से समाहर्ता न्यायालय के बी०सी०सी०ए० वाद संख्या-158/2024 से संबंधित अभिलेख मूल में कुल-25 (पच्चीस) पन्ने मात्र संलग्न कर वापस किया जाता है।

अनुलग्नक :-यथोपरि।

प्रतिलिपिः- श्री संतोष कुमार सिंह, पिता-श्री गंगा प्रसाद सिंह, सा0-हेमपुर, वार्ड नं0-16 थाना-नवहट्टा, जिला-सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी०मैनेजर, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमण्डल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

29.5.25

प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

Scanned with OKEN Scanner